प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

युगलपीठ

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रमांक 1345 सन् 2005

अपीलार्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटे

(बीमा कंपनी) संभाग कार्यालय, कोरबा, छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण (दावेदार)

1. श्रीमती यशोदा कुमरे, पति प्रेमलाल कुमरे,

   उम्र लगभग 42 वर्ष,

2. प्रेमलाल कुमरे, पिता जीवनलाल कुमरे,

   उम्र लगभग 52 वर्ष, (दोनों) निवासी- सीएसइबी

   कॉलोनी, कोरबा(पूर्व), जिला- कोरबा, छ.ग.

वाहन चालक

3. बिहारीलाल पाठक, पिता भगवान प्रसाद,

   उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- पोडी उपरोडा,

थाना- कटघोरा,जिला- कोरबा, वर्तमान निवासी- ग्राम

सूमेधा, बांकीमोगरा, तहसील- कटघोरा, जिला- कोरबा, छ.ग.

स्वामी 4. सर्वमंगला कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन, द्वारा स्वत्वधारी राजकुमार

अग्रवाल, निवासी- 106, टी पी नगर, कोरबा/ मोहसीन भवन,

गुरूनानक चौक, रायपुर छ.ग.

मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपील का ज्ञापन

उपस्थित :

श्री अभिषेक सिन्हा और श्री घनश्याम पटेल, अपीलार्थी हेतु अधिवक्ता ।

श्री गोविंद देवांगन, प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 हेतु अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्र. 3 व 4 हेतु कोई अधिवक्ता नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील क्रमांक 16 सन् 2006

अपीलार्थीगण (दावेदार) 1. श्रीमती यशोदा कुमरे, पति प्रेमलाल कुमरे

उम्र लगभग 42 वर्ष,

2. प्रेमलाल कुमरे, पिता जीवनलाल कुमरे

उम्र लगभग 52 वर्ष (दोनों) निवासी- सीएसइबी

कॉलोनी, कोरबा(पूर्व), जिला- कोरबा, छ.ग.

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण 1. बिहारीलाल पाठक, पिता भगवान प्रसाद,

उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी- पोडी उपरोडा,

थाना- कटघोरा, जिला- कोरबा,

वर्तमान निवासी- ग्राम सूमेधा,

बांकीमोगरा, तहसील- कटघोरा,

जिला- कोरबा, छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. सर्वमंगला कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन

द्वारा स्वत्वधारी राजकुमार अग्रवाल,

निवासी- 106, टी पी नगर, कोरबा/ मोहसीन भवन,

गुरूनानक चौक, रायपुर छ.ग.

3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

संभागीय कार्यालय, कोरबा, छ.ग.

मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपील का ज्ञापन

उपस्थित : श्री गोविंद देवांगन, अपीलार्थीगण हेतु अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 हेतु कोई अधिवक्ता नहीं।

श्री अभिषेक सिन्हा और श्री घनश्याम पटेल, प्रत्यर्थी क्र. 3 हेतु अधिवक्ता ।

आदेश

(दिनाँक 25 अप्रैल 2011)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **मुख्य न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता** द्वारा पारित किया गया-

1) दिनाँक 30.09.2005 को दावा प्रकरण क्र. 107/2004 में पारित हुए आक्षेपित अधिनिर्णय की वजह से ये दो अपीलें, अर्थात् एम.ए. क्र. 1345/2005 व एम.ए. क्र.16/2006 प्रस्तुत की गई हैं। एम.ए. क्र.1345/2005 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो दुर्घटनाकारक वाहन ट्रक का बीमाकर्ता है, के आग्रह पर उक्त अधिनिर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जबकि एम.ए. क्र.16/2006 दावेदारों द्वारा अधिकरण द्वारा प्रदत्त प्रतिकर में वृद्धि हेतु दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) मृतक दिनेश कुमरे के माता–पिता ने मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दिनांक 23.03.2004 को घटित मोटर दुर्घटना में उसके निधन के लिए ₹70,30,000/- की प्रतिकर के लिए दावा याचिका प्रस्तुत की थी, अधिकरण ने बीमाकर्ता द्वारा अधिनिर्णय पारित होने के एक महीने के भीतर प्रतिकर की राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में 7.5% प्रति वर्ष ब्याज के साथ कुल 3,74,500/- रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाने का अधिनिर्णय दिया।

3) अधिकरण ने प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि दावेदारों के पुत्र दिनेश कुमरे की मृत्यु दिनाँक 23.03.2004 को घटित मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के

कारण हुई। दुर्घटना का कारण दुर्घटनाकारक वाहन ट्रक क्रमांक CG 04-G/1146—के चालक द्वारा किए गए उतावलेपन एवं लापरवाहीपूर्ण रूप से वाहन चलाना माना गया। उक्त दुर्घटनाकारक ट्रक दुर्घटना की तिथि पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमित था, तथा बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को सिद्ध नहीं किया जा सका। अतः बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी पाई गई।

4. अधिकरण ने मृतक की आय ₹5,000/- प्रति माह तथा ₹60,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किया। मृतक के व्यक्तिगत खर्च हेतु ₹60,000/- का 2/3 भाग घटाने पर दावेदारों की आश्रितता राशि ₹20,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित की गई। वार्षिक आश्रितता राशि ₹20,000/- को 18 गुणक से गुणा करने पर प्रतिकर की राशि ₹3,60,000/- प्राप्त हुई। अन्य शीर्षों के अंतर्गत ₹14,500/- की अतिरिक्त राशि प्रदान कर अधिकरण ने कुल ₹3,74,500/- की प्रतिकर राशि मृतक दिनेश कुमरे की मृत्यु हेतु मोटर दुर्घटना में दावेदारों के पक्ष में अधिनिर्णीत किया। अधिकरण ने आगे निर्देशित किया कि यदि बीमाकर्ता अधिनिर्णय पारित होने की तिथि से एक माह के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहता है, उपर्युक्त प्रतिकर राशि ₹3,74,500/- पर 7.5% वार्षिक ब्याज देय होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा एवं श्री जी.एस. पटेल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो दुर्घटनाकारक वाहन ट्रक के बीमाकर्ता हैं, की ओर से प्रस्तुत हुए तथा यह तर्क किया कि अधिकरण ने मृतक की आय ₹5,000/-प्रति माह आकलित करने में त्रुटि की है, जबकि इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था; साथ ही उच्च गुणांक 18 का चयन करने में तथा अत्यधिक प्रतिकर राशि ₹3,74,500/- प्रदान करने में भी अधिकरण ने भूल की है।

6. श्री गोविन्द देवांगन, जो एम.ए. क्र.16/2006 में अपीलार्थीगण/दावेदारों के अधिवक्ता हैं, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने अत्यल्प प्रतिकर राशि ₹3,74,500/- प्रदान कर त्रुटि की है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अपील ज्ञापन में दुर्घटनाकारक वाहन ट्रक के बीमाकर्ता ने आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती देने हेतु अनेक आधार ग्रहण किए थे, तथापि सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा केवल प्रतिकर की मात्रा को ही चुनौती दी गई।

8. दावेदारों के पुत्र दिनेश कुमरे की आयु दुर्घटना की तिथि पर लगभग 21–22 वर्ष थी। वह पॉलिटेक्निक का छात्र था। दावेदारों ने यह अभिवाक् किया कि उनका पुत्र ट्यूशन से प्रतिमाह ₹4,500/- से ₹5,000/- अर्जित करता था, किन्तु मृतक की मासिक आय ₹5,000/- सिद्ध करने हेतु अधिकरण के समक्ष कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अधिकरण ने मृतक की आय ₹5,000/- प्रतिमाह तथा ₹60,000/- प्रतिवर्ष मानकर जो आकलन किया है, वह स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इस संबंध में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अतः हम यह प्रस्तावित करते हैं कि मृतक की आय का आकलन मोटरयान अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित कल्पित आय के आधार पर किया जाए और उसी के अनुसार प्रतिकर की पुनर्गणना की जाए।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मोटरयान अधिनियम की धारा 163-ए, जिसके अंतर्गत द्वितीय अनुसूची वर्ष 1994 में लागू की गई, इस प्रकार है:

> "**163ए. संरचित सूत्र के आधार पर प्रतिकर के भुगतान के संबंध में विशेष उपबंध—**

(1) इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य विधि या विधिक साधन में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, मोटरयान के स्वामी या वाहन के अधिकृत बीमाकर्ता पर यह दायित्व होगा कि दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वह प्रतिकर का भुगतान करेगा..... मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, पीड़ित या उसके वैध उत्तराधिकारियों को प्रतिकर देय होगी, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों हेतु "स्थायी अपंगता" का वही अर्थ और परिमाण होगा, जैसा कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (अधिनियम क्रमांक 8 सन् 1923) में प्रदान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत किसी भी प्रतिकर-आधारित दावे में, दावा करने वाले को यह अभिकथन करने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मृत्यु या स्थायी अपंगता वाहन स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के किसी सदोष कृत्य, लापरवाही या चूक के कारण हुई थी।

(3) केंद्रीय सरकार जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

10. उपर्युक्त धारा 163-A की उपधारा (3) के अनुसार अधिनियम ने केंद्रीय सरकार को बाध्य किया था कि वह जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन करे।

11. चूंकि केंद्रीय सरकार धारा 163-A की उपधारा (3) में अपेक्षित अनुसार द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, अतः न्यायालय/अधिकरण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा जीवन-यापन की लागत में वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची के लागू होने और वर्तमान मामले में दुर्घटना की तिथि (2004) के बीच हुई वृद्धि की न्यायिक अवेक्षा कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अब वर्तमान मामले पर लौटते हुए, वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसमें दावेदारों के पुत्र दिनेश कुमरे ने अपने प्राण गंवाए, वर्ष 2004 में हुई थी। यदि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों व जीवन यापन की लागत में वर्ष 1994 से दुर्घटना वर्ष 2004 के मध्य हुई वृद्धि, जब वर्ष 2004, जिसमें दावेदारों के पुत्र दिनेश कुमरे की मृत्यु घटित हुई, का परिगणन किया जाता है, तब यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय अनुसूची में वर्ष 1994 के लिए निर्धारित ₹15,000/- की कल्पित आय वर्ष 2004 में अवश्य ही ₹36,000/- तक पहुँचती। इसलिए, हम मृतक की वार्षिक आय ₹36,000/-प्रतिवर्ष आंकते हैं।

13. उच्चतम न्यायालय द्वारा **सईद बशीर अहमद व अन्य विरूद्ध मोहम्मद जमील व अन्य, (2009) 2 एस सी सी 225** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत की दृष्टि में अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत व्यय हेतु उसकी आय के 2/3 भाग की कटौती, विधि-सम्मत नहीं ठहरती। अतः, हम मृतक

के व्यक्तिगत खर्च हेतु कुल आय ₹36,000/- का 50% घटाकर, दावाकर्ताओं की वार्षिक निर्भरता का आंकलन ₹18,000/- करते हैं।

14. चूँकि दावाकर्ता मृतक के अभिभावक हैं, अत: **म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आॅफ ग्रेटर बॉम्बे विरूद्ध लक्ष्मण अय्यर व अन्य, (2003) 8 एस सी सी 731** में उद्धोषित सिद्धांत के अनुसार वर्तमान प्रकरण में उपयुक्त गुणांक 10 रहेगा।

15. उपर्युक्त के आधार पर वार्षिक निर्भरता ₹18,000/- को गुणांक 10 से गुणा करने पर कुल प्रतिकर राशि ₹1,80,000/- प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार व्यय हेतु ₹5,000/- तथा संपदा हानि हेतु ₹5,000/- जोड़ने पर कुल प्रतिकर राशि ₹1,90,000/- हो जाती है, जिस पर दावा-कर्तागण अपने पुत्र दिनेश कुमरे की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के प्रतिकर स्वरूप विधिक रूप से प्राप्त करने के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया कि ₹50,000/- की राशि मोटरयान अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत 'त्रुटि रहित दायित्व' के अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा अधिकरण के समक्ष जमा की गई थी, तथा ₹1,37,250/- की अतिरिक्त राशि दिनांक 19.04.2006 को, एम.ए. क्र. 1345/2005 में दिनांक 21.03.2006 के पारित आदेश के अनुपालन में जमा की गई। इस प्रकार, बीमा कंपनी द्वारा कुल ₹1,87,250/- की राशि अधिकरण के समक्ष जमा की गई है, जिसे दावेदारों द्वारा पहले ही आहरण कर लिया गया है।

17. निस्संदेह, अधिकरण ने यह निर्देश देकर त्रुटि की है कि बीमाकर्ता द्वारा पारित प्रतिकर की तिथि से एक माह के भीतर प्रतिकर की राशि जमा न करने पर केवल सशर्त रूप से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। दावा-कर्तागण ₹1,40,000/- (₹1,90,000/- अपील में आंकलित राशि ₹50,000/- जो 'त्रुटि रहित दायित्व' के अंतर्गत दावेदारों को प्राप्त हो चुकी है) की राशि पर लगभग दो वर्षों की अवधि (05.05.2004 से, अर्थात दावा-पत्र दायर किए जाने की तिथि से लेकर 19.04.2006 तक, जिस दिन ₹1,37,250/- बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई) के लिए ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

18. प्रकरण के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के उपरांत, हम बीमा कंपनी द्वारा दावेदारों को देय ब्याज की राशि ₹17,250/- निर्धारित करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अतः दावा-कर्तागण अब कुल ₹20,000/- प्राप्त करने के अधिकारी हैं —(₹1,90,000/- व ₹1,87,250/- के बीच का का अंतर ₹2,750/- तथा ₹1,40,000/- लगभग 2 वर्षों की अवधि के परिमाणित ब्याज की रकम के रूप में ₹17,250/-)।

20) पूर्वोक्त कारणों से, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील एम.ए. क्र. 1345/2005 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। अधिकरण द्वारा दिए गए ₹3,74,500/- रुपये के प्रतिकर को घटाकर ₹1,90,000/- रुपये कर दिया गया है, जिसमें ₹17,250/- का अतिरिक्त ब्याज भी शामिल है।

21) दावाकर्तागण द्वारा प्रतिकर बढ़ाने के लिए प्रस्तुत की गई अपील एम.ए. क्र. 16/2006 असफल हो जाती है और इसे एततद्वारा खारिज किया जाता है।

22) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष ₹20,000/- की कुल राशि जमा करने के लिए तीन माह का समय दिया जाता है।

23) वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित

मुख्य न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv Vartika Verma